

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 18.11.2020 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 532/2020 धारा 307 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त गणेश जायसवाल पुत्र अशोक जायसवाल निवासी चौबेपुर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र 31 वर्ष को सगुनिया तिराहे से समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 535/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- गणेश जायसवाल पुत्र स्व0 अशोक जायसवाल निवासी चौबेपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र 31 वर्ष

\*बरामदगी का विवरण-\*

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 अजय कुमार यादव, उ0नि0 सुभाष सिंह, का0 भीम कुमार व का0 प्रवीण कुमार थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 19.11.2020 को थाना रामनगर पुलिस को देखभाल क्षेत्र के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि आज कुछ लड़के आपराधिक घटना/लूट की मंशा से पंचवटी से दुर्गा मन्दिर की तरफ दो मोटरसाईकिल पर सवार होकर निकलने वाले हैं। इस सूचना पर थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर उन्हें पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा पकड़े जाने से बचने हेतु थाना रामनगर पुलिस टीम को निशाना बनाकर फायर किया गया। जिससे सभी पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गये तथा पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए 03 नफर अभियुक्तगण 1. कादिर पुत्र मो0 हनीफ निवासी -04/1385 वाजिदपुर रामनगर वाराणसी, 2. अकबर पुत्र ऐनुल हक निवासी 01/594 गुरुद्वारा गली रामनगर वाराणसी मय एक अदद नाजायज तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 3. जावेद पुत्र अब्दुल तलीफ निवासी सिवान मस्जिद के नजदीक कोदोपुर रामनगर वाराणसी मय एक अदद नाजायज रिवाल्वर .32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0204/2020 धारा 307,420 भादवि, मु0अ0सं0 0205/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 0206/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. कादिर पुत्र मो0 हनीफ निवासी -04/1385 वाजिदपुर रामनगर वाराणसी उम्र 22 वर्ष
2. अकबर पुत्र ऐनुल हक निवासी 01/594 गुरुद्वारा गली रामनगर वाराणसी उम्र 23 वर्ष
3. जावेद पुत्र अब्दुल तलीफ निवासी सिवान मस्जिद के नजदीक कोदोपुर रामनगर वाराणसी उम्र 20 वर्ष

\*आपराधिक इतिहास-\*

\*अभियुक्त कादिर पुत्र मो0 हनीफ-\*

1. मु0अ0सं0 0204/2020 धारा 307,420 भादवि ।

\*अभियुक्त जावेद पुत्र अब्दुल तलीफ-\*

1. मु0अ0सं0 0204/2020 धारा 307,420 भादवि ।

2. 0206/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।

\*अभियुक्त अकबर पुत्र ऐनुल हक-\*

1. मु0अ0सं0 0204/2020 धारा 307,420 भादवि ।

2. मु0अ0सं0 0205/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ।

3. मु0अ0सं0 0198/2018 धारा 420 भादवि व 66/66C आई0टी0 एक्ट

\*विवरण बरामदगी-\*

1. 01 अदद नाजायज देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2. 01 अदद नाजायज रिवाल्वर .32 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस .32 बोर ।
3. 01 अदद मोटरसाईकिल अपाचे संख्या UP 66 K 6625, चेसिस नं0 MD634KE41B2C83200
4. 01 अदद मोबाईल OPPO कम्पनी एण्ड्रायड सेट
5. 01 अदद मोबाईल Redmi कम्पनी का एण्ड्रायड सेट

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\***

1. उ0नि0 आशीष मिश्रा चौकी प्रभारी सूजाबाद, उ0नि0 अरविन्द यादव, उ0नि0 टुन्नू सिंह, का0 सिद्धार्थ कुमार रजक, का0 ब्रम्हदेव सिंह व का0 प्रहलाद यादव थाना रामनगर वाराणसी।
2. का0 सूरज सिंह व का0 आलोक कुमार क्राइम ब्रान्च, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 19/11/2020 को थाना रामनगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान बजाज एजेन्सी टेंगरा वहद ग्राम भीटी के पास से एक व्यक्ति के पास से सफेद बोरी में 33 अदद अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें (18 अदद अंग्रेजी शराब शीशी MC Dowells No-1Reserve Whisky Original 375ml व 15 अदद अंग्रेजी शराब 8pm for sale in uttar Pradesh only 180 ml) बरामद की गयी। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0203/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम 1. मनीष कुमार पुत्र सतेन्द्र पासवान निवासी वार्ड 25 पूरब मोहल्ला, थाना भभुआ, जनपद कैमूर (बिहार) उम्र लगभग 23 वर्ष, पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*विवरण गिरफ्तार अभियुक्त- \*

- मनीष कुमार पुत्र सतेन्द्र पासवान निवासी वार्ड 25 पूरब मोहल्ला, थाना भभुआ, जनपद कैमूर (बिहार)

\*बरामदगी का विवरण-\*

- एक सफेद बोरी में 33 अदद अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलें (18 अदद अंग्रेजी शराब शीशी MC Dowells No-1Reserve Whisky Original 375ml व 15 अदद अंग्रेजी शराब 8pm for sale in uttar Pradesh only 180 ml)

\*गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 टुन्नू सिंह, का0 आमोद कुमार रमन व का0 मदन सेन थाना रामनगर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 19.11.2020 को थाना कैण्ट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मु0अ0सं0 901/2020 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश वर्मा पुत्र पारस नाथ वर्मा निवासी ग्राम भोहर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को जेपी तिराहे के पास से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाईकिल हीरो पैंशन प्रो, संख्या यूपी 65 डीडी 6454 बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*पूछताछ का विवरण-\*

अभियुक्त राकेश वर्मा से पूछताछ की गई तो बताया कि उक्त हीरो पैंशन प्रो मोटरसाईकिल को मैंने दिनांक 13.11.2020 को समय करीब 20.00 बजे वरुणा विहार कालोनी से चुराया था।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- राकेश वर्मा पुत्र पारस नाथ वर्मा निवासी ग्राम भोहर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी।

\*बरामदगी का विवरण-\*

- चोरी की गई मोटरसाईकिल हीरो पैंशन प्रो, संख्या यूपी 65 डीडी 6454

\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 अजय प्रताप सिंह चौकी प्रभारी कचहरी, उ0नि0 अशोक कुमार यादव, का0 रामानन्द यादव क्राइम टीम, हे0का0 अरविन्द यादव, का0 मनोज राय व का0 राम गोपाल थाना कैण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 19.11.2020 को थाना जैतपुरा पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान शिया इमामबाड़ा सैरैया के पास से थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-210/2020 धारा-379/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मोहम्मद पुत्र अनवर निवासी सैरैया इमामबाड़ा सैरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र-24 वर्ष को समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- मोहम्मद पुत्र अनवर निवासी सैरैया इमामबाड़ा सैरैया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र-24 वर्ष

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 मो0 अकरम चौकी प्रभारी सैरैया, उ0नि0 दयाशंकर यादव व का0 अखिलेश यादव थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 126/2020 दिनांक: नवम्बर, 19/2020

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 19-11-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा पुलिस लाईन वाराणसी में नियुक्त महिला निरीक्षक ना0पु0 संगीता सक्सेना को अपने पदीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप व प्रारम्भिक जाँच में दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 18.11.2020 को थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 465/2020 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त प्रदीप कुमार उर्फ छोटू पुत्र विशसू निवासी ग्राम गौरा प्रेमनगर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष को मुनारी बाजार से समय करीब 22.00 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- प्रदीप कुमार उर्फ छोटू पुत्र विशसू निवासी ग्राम गौरा प्रेमनगर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 रविकान्त चौहान, हे0का0 विनीत कुमार तिवारी व का0 अरविन्द कुमार थाना चौबेपुर वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 128/2020 दिनांक: नवम्बर, 19/2020

\*प्रेस नोट\*

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2020 धारा 147/148/149/302/307/120बी/216ए/34 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट एवं थाना चौक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/2020 धारा 386/504/120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित रू0 25,000/- का ईनामिया अभियुक्त रोशन गुप्ता उर्फ किट्टु पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी सीके 65/189 बड़ी पियरी थाना चौक जनपद वाराणसी, जो अब तक फरार चल रहा है, के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट पर पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा आज दिनांक 19.11.2020 को रू0 50,000/- का ईनाम घोषित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अभियुक्त रोशन गुप्ता उर्फ किट्टु उपरोक्त के अब तक फरार रहने के फलस्वरूप आज दिनांक 19.11.2020 को ईनाम की धनराशि रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 1,00,000/- किये जाने हेतु अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारीगण को प्रेषित की गयी।

थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2020 धारा 147/148/149/302/307/120बी भादवि एवं थाना लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0 488/2020 धारा 307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में वांछित अभियुक्त, रू0 50,000/- के ईनामिया व आई0डी0-33 गैंग के सदस्य मनीष उर्फ सोनू सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी नरोत्तमपुर थाना लंका व हालपता गुलाब सिंह का मकान सुलेमापुर थाना चोलापुर वाराणसी, के अब तक फरार रहने के फलस्वरूप ईनाम की धनराशि रू0 50,000/- से बढ़ाकर रू0 1,00,000/- किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा दिनांक 17.11.2020 को अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारीगण को प्रेषित की गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

दिनांक 19.11.2020 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर बड़ागाँव तिराहे से सनी करवल पुत्र राधेश्याम करवल निवासी बड़ागाँव करवल बस्ती थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र 21 वर्ष को समय 16.30 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 537/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\*

- सनी करवल पुत्र राधेश्याम करवल निवासी बड़ागाँव करवल बस्ती थाना बड़ागाँव वाराणसी उम्र 21 वर्ष

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 20 लीटर अवैध कच्ची शराब

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

1. आबकारी निरीक्षक अभय सिंह, जनपद वाराणसी
2. उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी
3. आबकारी का0 नजमुलहदा सिद्दीकी जनपद वाराणसी
4. आबकारी हे0का0 बसन्त द्विवेदी, जनपद वाराणसी
5. हे0का0 गौरीशंकर, थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी
6. का0 जसवन्त कुमार, थाना बड़ागाँव जनपद वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 19.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 163 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 4794 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 663 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 166 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 2187 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में चालान तथा 138 शोहदों को हिदायत दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-[sspvns-up@nic.in](mailto:sspvns-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 131/2020 दिनांक: नवम्बर, 19/2020

\*प्रेस नोट\*

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 19-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए \*कुल 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी\* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा \*03 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम\* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये \*कुल 625 व्यक्तियों से रु0-18,000/- जुर्माना\* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए \*कुल 1406 वाहनों का चालान, 01 वाहन सीज तथा 152 वाहनों से रु0-1,26,300/- समन शुल्क वसूल\* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।